मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड

(आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. की सहायक कंपनी)
CIN:L23209KA1988GOI008959
पंजीकृत कार्यालय : मुडपदव, कुत्तेतूर डाक घर, वाया काटिपल्ला, मंगलूर - 575 030
वेबसाइट: www.mrpl.co.in

32वीं वार्षिक महासभा (AGM) की नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की बत्तीसवीं वार्षिक महासभा, शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 को दोपहर 4.00 बजे (IST), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("VC") / अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों ("OAVM") के जरिए होगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा:

सामान्य कारोबार

1. **31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(2)(i) और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य लागू प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, उन पर विचार और उनको अपनाना तथा नीचे उल्लिखित संकल्पों को सामान्य संकल्पों के रूप में पारित करना:**

   "यह संकल्प पारित किया गया कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ-साथ उस पर मंडल की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार कर उनको अपनाया जाए तथा एतद्वारा विचार कर उनको अपनाया जाता है".

2. **श्री विनोद एस. शेणै (DIN: 07632981) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

   " यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी श्री विनोद एस. शेणै (DIN: 07632981) को, जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद्वारा इनको पुनर्नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे ".

3. **श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656) के स्थान पर, जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते निदेशक के रूप में अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, निदेशक नियुक्त करना और इस संबंध में नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए श्री सुभाष कुमार (DIN: 07905656) को, जो इस बैठक में आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं, कंपनी के निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा इनको पुनर्नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे ".

4. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने और साधारण संकल्प के रूप में नीचे उल्लिखित संकल्प पारित करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना:**

    " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पठित धारा 139(5) के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए, कंपनी के निदेशकों को एतद्द्वारा यह प्राधिकार दिया जाए और दिया जाता है कि वे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा कार्य के सिलसिले में फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति सहित पारिश्रमिक और अन्य नियम एवं शर्तें तय करें.

विशिष्ट कारोबार:

5. **श्री सुनील कुमार (DIN:08467559) को कंपनी के निदेशक के रूप में** नियुक्त **करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

    " **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, श्री सुनील कुमार (DIN:08467559)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं. C-31033/ 1/2016-CA/FTS:42979 दिनांक 17/10/2019 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 17/10/2019 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री सुनील कुमार (DIN:08467559) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

6. **श्रीमती पोमिला जसपाल (DIN:08436633) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:**

    "**यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149, 152 और अगर कोई अन्य प्रावधान लागू हों तो उनका तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए

श्रीमती पोमिला जसपाल (DIN: 08436633) को जिनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा उनके पत्र सं. CA-31013/5/ 2018-PNG(27963) दिनांक 14/10/2019 के जरिए निदेशक(वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 15/10/2019 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्रीमती पोमिला जसपाल (DIN:08436633) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में, उन नियमों और शर्तों पर जो एमओपी एण्ड एनजी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है ."

7. श्री संजय वर्मा (DIN:05155972) को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प को साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

" यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 के प्रावधानों और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हों तो उनका और उसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुसरण करते हुए, श्री संजय वर्मा (DIN:05155972)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं. CA-31013/1/ 2019-PNG (30910) दिनांक 09/06/2020 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 09/06/2020 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री संजय वर्मा (DIN:05155972) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली है, कंपनी के निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में, उन नियमों और शर्तों पर जो एमओपी एण्ड एनजी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है ."

8. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, साधारण संकल्पों के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (उसमें किसी सांविधिक आशोधन(नों) अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों को, ₹2,15,00/- के पारिश्रमिक के साथ देय लागू कर और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट दर्ज करने के प्रति ₹ 25,000/- के साथ लागू कर अदा किया जाए. " ई-फाइलिंग, यात्रा खर्च, लॉकिंग, बोर्डिंग और अन्य खर्च के लिए MCA को देय शुल्क, इस महासभा की नोटिस के साथ संलग्न विवरण में यथा निर्दिष्ट तरीके से, लागू कर के साथ वास्तविक खर्च के आधार पर देने होंगे.

आगे यह संकल्प पारित किया गया कि निदेशक मंडल को प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वह ऐसे तमाम कार्य करे और ऐसे समस्त कदम उठाए जो इस संकल्प को लागू करने और कंपनी के किसी दूसरे अधिकारी प्रत्यायोजित करने के लिए आवश्यक, उचित अथवा समीचीन हों. "

9. जमानत रहित अपरिवर्तनीय डिबेंचर (NCDs)/बांड निर्गमित करते हुए ₹ 5,000 करोड़ तक धनराशि जुटाए और इस संबंध में विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन(नों) के साथ अथवा आशोधन(नों) के बगैर नीचे उल्लिखित संकल्प, विशेष संकल्पों के रूप में पारित करना:

" **यह संकल्प पारित किया गया कि** कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 और अन्य लागू प्रावधानों एवं किन्हीं अन्य लागू सांविधिक प्रावधानों (उसमें किन्हीं सांविधिक आशोधनों अथवा पुन:अधिनियमन सहित) का अनुसरण करते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल (the “Board”)को यह प्राधिकार दिया जाए और यह प्राधिकार दिया जाता है कि वह, समय-समय पर यथा लागू नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और अधिनियमन के अनुरूप, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, देशी बाजार में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित कंपनी की उधार लेने की कुल शक्ति के अधीन एक अथवा उससे अधिक ट्रांचस/श्रृंखलाओं में ₹ 25,000 करोड़ की समग्र उच्चतम सीमा के अंदर, ₹ 5,000 करोड़ तक जमानत रहित अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने की पेशकश करे अथवा आमंत्रण दे."

" **आगे यह संकल्प पारित किया गया कि** निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दिया जाए और एतद्वारा दिया जाता है कि वह, समय-समय पर ऐसे तमाम कार्य और कृत्य करें अथवा कराएं जो अंकित मूल्य, निर्गम कीमत, निर्गम आकार, मुद्दत, समय, रकम, जमानत, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, लिस्टिंग, आबंटन और बांड/डिबेंचर जारी करने संबंधी ऐसे अन्य नियम और शर्तें, जो उसके परम विवेकानुसार आवश्यक समझे जाएं, निर्धारित करने सहित जो उस हद तक सिमित नहीं हैं, इन NCDs/बांडों का निजी स्थानन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं."

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-
दिनेश मिश्रा
कंपनी सचिव

स्थान : मंगलूरु
दिनांक : 14/08/2020

टिप्पणियां:

1. COVID-19 सर्वव्यापी महामारी का प्रकोप जारी रहने के कारण, कंपनी कार्य मंत्रालय("MCA") ने अपने दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित दिनांक 5 मई, 2020 के परिपत्र के जरिए एक साझा स्थान पर सदस्यों का प्रत्यक्ष मौजूदगी के बगैर वीडियो कान्फरेंसिंग(VC)/अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों OAVM) के जरिए वार्षिक महासभा ("AGM") आयोजित करने की अनुमति दी, कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("Act") और SEBI (लिस्टिंग, दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("SEBI लिस्टिंग विनियम, 2015") के प्रावधान और MCA परिपत्रों का अनुपालन करते हुए कंपनी की AGM, VC/OAVM के जरिए आयोजित की जा रही है.

2. सर्वव्यापी महामारी COVID-19 के प्रकोप के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और , कंपनी कार्य मंत्रालय ("MCA") के दिनांक 5 मई, 2020 के बाद जारी किए गए परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 का अनुसरण करते हुए AGM में सदस्यों की प्रत्यक्ष मौजूदगी आवश्यक नहीं है और वार्षिक महासभा ("AGM"), वीडियो कान्फरेंसिंग (VC) अथवा अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों(OAVM) के जरिए आयोजित की जाए. इसलिए सदस्य, आगामी AGM में VC/OAVM के जरिए भाग ले सकते हैं.

3. सदस्य, नोटिस में दी गई क्रियाविधि का पालन करते हुए महासभा की शुरुआत के अनुसूचित समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद AGM में, VC/OAVM मोड में भाग ले सकते हैं. VC/OAVM के जरिए AGM में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आए पहले पाएं आधार पर उपलब्ध होगी. यह बात उन बड़े शेयरधारकों को लागू नहीं होगी (ऐसे शेयरधारक जिनका शेयरधारण 2% अथवा उससे अधिक हो) जैसे प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकर्ता, निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हिस्सेदारों के साथ रिश्तेदारी संबंधी समिति, लेखा परीक्षक आदि, जिनको पहले आए पहले पाएं जैसे प्रतिबंधों के बगैर AGM में भाग लेने दिया जाता है.

4. जैसे कि नोटिस में कहा गया है, किए जाने वाले विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान इसके साथ संलग्न किया गया है.

5. रिमोट ई-मतदान करने के लिए अनुदेशों के साथ 32वीं वार्षिक महासभा की नोटिस, सदस्यों, निदेशकों, लेखा परीक्षकों और पात्र दूसरों को अनुमत माध्यम से भेजी गई है.

6. अधिनियम के प्रावधान का अनुसरण करते हुए AGM में भाग लेकर मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने और उससे मतदान कराने के लिए भी पात्र होगा जब कि यह ज़रूरी नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी कंपनी का सदस्य हो. चूंकि इस AGM का आयोजन, MCA के परिपत्रों का अनुसरण करते हुए VC / OAVM के जरिए किया जा रहा है इसलिए सदस्यों की प्रत्यक्ष मौजूदगी को परहेज किया गया है. तदनुसार सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा, AGM के मामले में उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फ़ार्म और उपस्थिति पर्ची, इस नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है.

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कार्पोरेट सदस्यों को महासभा में उनकी तरफ से ई-बैठक में भाग लेकर रीमोट ई-मतदान के जरिए मतदान करने का प्राधिकार देते हुए पारित बोर्ड के संबंधित संकल्प की एक स्कैन की गई प्रतिलिपि भेजनी होगी.

8. SEBI (लिस्टिंग संबंधी दायित्व एवं प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के तहत यथा आदेशित नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों की संक्षिप्त रूपरेखा, नोटिस का भाग बनती है. कंपनी के निदेशकों में से कोई भी आपस में रिश्तेदार नहीं है.

9. वार्षिक महासभा के प्रयोजन से, कंपनी ने घोषित किया है कि बहियां, 14/09/2020 से 18/09/2020 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रहेंगी.

10. शेयर अंतरण दस्तावेज और उससे संबंधित तमाम पत्राचार, कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, - मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि., सी-101, 247 पार्क, एल बी एस मार्ग, विख्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400 083, ई-मेल mrplirc@linkintime.co.in के पास भेजे जाएं.

11. सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची VII के साथ पठित विनियम 40(7) के अनुसार, मूर्त शेयरों के हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी(यों) के लिए अनिवार्य है कि वे, शेयरों के हस्तांतरण का पंजीकरण कराने के लिए अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि पेश करें. हंस्तारणकर्ता और हस्तांतरी(रियों) से अनुरोध है कि वे, विधिवत् रूप से भरे गए शेयर अंतरण विलेख और मूर्त शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) के साथ अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपियां पेश करें. शेयरों के अंतरण से जुड़े प्रतिभूति बाजार में और/अथवा बाजार के बाहर किए जाने वाले लेन-देन अथवा निजी लेन-देनों के मामले में हस्तातरी(रियों) और हस्तांतरणकर्ता(ओं) को अपने पैन कार्ड की प्रतिलिपि, कंपनी/रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों, जो भी हो, को पेश करनी होगी ताकि प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण कराया जा सके. अगर पैन कार्ड उपलब्ध न हो तो अर्थात्; अगर सिक्किम का निवासी हो तो प्रतिभूतियों के अंतरण का पंजीकरण कराने के लिए पहचान सबूत पेश करना होगा.

12. SEBI ने अपनी अधिसूचना दिनांक 08/06/2018 ने अधिदेश दिया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण अथवा स्थानांतरण के मामले को छोड़कर दूसरे सभी मामले में प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित दरख्वास्त को तब तक प्रोसेस नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिभूतियां, निक्षेपागार में अमूर्त रूप से न रखी गईं हों. इसलिए मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को अमूर्त में रखें.

13. अगर किसी सदस्य को, इस बैठक के कारोबार की किसी मद के बारे में कोई जानकारी चाहे तो वह ऐसी दरख्वास्त, 11/09/2020 से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर कंपनी सचिव के पास, ई-मेल investor@mrpl.co.in, पर भेजे जिससे कि उन पर ठीक तरह से गौर किया जा सके. सदस्य, संलग्न नोटिस में यथा निर्दिष्ट संबंधित दस्तावेजों का, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, सभी कार्य दिवस अर्थात्; सोमवार से शुक्रवार तक, दोपहर 3.30 बजे से श्याम 5.00 बजे तक, 18/09/2020, तक अर्थात्; 32वीं वार्षिक महासभा की तारीख तक निरीक्षण कर सकते हैं.

14. दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी सुसाध्य बनाने की खातिर कंपनी कार्य मंत्रालय (MCA), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किए गए " हरित पहल " के उपाय के प्रति समर्थन के रूप में और साथ ही परिपत्र

संदर्भ दिनांक 05-11-2011 के परिपत्र सं. CIR/CFD/DIL/7/2011 का और कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित बातों का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने उन शेयरधारकों को, जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी का रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों अथवा निक्षेपागारों के साथ पंजीकरण कराया हो, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वार्षिक रिपोर्ट भेजी हैं. जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते, कंपनी के पास पंजीकृत नहीं कराए हैं, वे अब उसका पंजीकरण करा सकता है जिसके लिए कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in पर उपलब्ध ई-सूचना पंजीकरण फार्म भरकर उसे मेसर्स लिंक इन्टाईम इंडिया प्रा. लि. अथवा कंपनी के निवेशकर्ता संबंध विभाग के पास भेज सकते हैं. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपने ई-मेल पते का, सिर्फ़ निक्षेपागार सहभागी(गियों) के पास पंजीकरण कराएं.

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और SEBI(लिस्टिंग संबंधी बाध्यता और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का अनुसरण करते हुए 32वीं AGM में पारित किए जाने वाले संकल्पों पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान करने के लिए सदस्यों को रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान की गई है. जिन सदस्यों के नाम, 11/09/2020 की निर्दिष्ट तारीख को, सदस्यों के रजिस्टर/हितकारी मालिकों की सूची में नज़र आए उनको इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों पर अपना मतदान करने का हक है. सदस्य, महासभा के स्थान से भिन्न (रिमोट ई-मतदान) स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के जरिए अपना मतदान कर सकते हैं.

    रिमोट ई-मतदान, 15/09/2020 को शुरु होकर 17/09/2020 को खत्म होगा. इसके अलावा, 32वीं ई-AGM में भाग लेने वाले जिन सदस्यों/शेयरधारकों ने रिमोट ई-मतदान से अपना मतदान न किया हो वे ही 32वीं ई-वार्षिक महासभा के दौरान अपना मतदान करने के लिए पात्र होंगे.

16. IEPF नियमों के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 वर्षों के अदत्त अथवा अदावी लाभांश का, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में नियत तारीखों को अंतरण किया. निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पडी अदत्त एवं अदावी रकम के बारे में सूचना का अपलोडिंग) नियम, 2012 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए कंपनी ने 03/08/2019 तक (पिछली वार्षिक महासभा की तारीख) कंपनी के पास पड़ी रही अदत्त एवं अदावी लाभांश रकम के ब्यौरे, कंपनी के वेबसाइट (www.mrpl.co.in) पर और साथ ही कंपनी कार्य मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड किए हैं.

17. MCA ने अपनी अधिसूचना दिनांक 05/09/2016 के जरिए 28.02.2017 को निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 और निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) संशोधन, नियम, 2017 अधिसूचित किए हैं. इन नियमों के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए उन शेयरों को, जिनके संबंध में शेयरधारकों ने अब तक लाभांश का दावा न किया हो, प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा. तदनुसार, कंपनी ने उन प्रत्येक शेयरधारकों से, जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में लाभांश का दावा नहीं किया है, निवेदन किया है कि वे, वर्ष 2015-16 से आगे अदावी लाभांश का दावा करने के लिए अपने आवेदन पत्र, कंपनी/आरटीए के पास भेजें क्योंकि कंपनी ने विव 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है. शेयरधारकों से अनुरोध है

कि वे, अदावी लाभांश का दावा करें जिससे शेयरों का IEPF प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण न किया जा सके. कृपया नोट करें कि IEPF प्राधिकरण में अंतरित अदावी लाभांश और शेयरों के संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकेगा. लेकिन अदावी शेयरों और लाभांश का, IEPF से दावा करने के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.iepf. gov.in. पर उपलब्ध निर्धारित फार्म (IEPF-5) में आवश्यक आवेदन पत्र देना होगा.

18. मूर्त रूप से शेयर रखने वाले सदस्य, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुसार नामांकन सुविधा का उपभोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में यथा निर्धारित फार्म SH-13 में किसी ऐसे व्यक्ति के नाम, जिसके पास उनके शेयर, फार्म में उल्लिखित घटना होने पर रहेंगे, नामांकन कर सकते हैं. मूर्त रूप से शेयर रखने वाले व्यक्ति, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in से फ़ार्म SH-13 डाउनलोड करते हुए उसकी दो प्रतियां, कंपनी के आरटीए को भेज सकते हैं. अगर शेयर अमूर्त रूप में हों तो संबंधित DP के पास नामांकन दर्ज कराना होगा.

19. मूर्त रूप में एक से अधिक फोलियो में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, समेकन कराने की खातिर संबंधित शेयर प्रमाणपत्रों के साथ कंपनी अथवा अपने RTA के पास आवेदन करें.

20. सदस्यों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन होते ही इनको अधिसूचित करें:

i) अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के मामले में DP को, और

ii) अगर कोई शेयर मूर्त रूप में हों तो उनकी फोलियो संख्या के साथ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा उसके RTA को.

21. अनिवासी सदस्यों से अनुरोध है कि वे आरटीए को इस बारे में सूचित करें:

i) स्थाई तौर पर निवास करने की खातिर भारत लौटने पर अपनी निवासीय स्थिति में हुए परिवर्तन के बारे में.

ii) भारत में रखे गए उनके बैंक खाते के विवरण अगर इससे पहले न दिए गए हों तो पेश करें जैसे पूरा नाम, शाखा, खाता प्रकार, खाता संख्या, IFSC कूट संख्या, MICR संख्या और पिन कूट संख्या के साथ बैंक का पता.

22. सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 12 के अनुसार, सेबी ने सभी संबंधितों को सलाह दी है कि वे, नकद भुगतान अर्थात्; निवेशकर्ताओं के लाभांश, ब्याज, प्रतिदान अथवा चुकौती रकम का भुगतान करते समय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का उपयोग करें. लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति का प्रयोग करना संभव न हो तो सममूल्य पर देय वारंट अथवा चेक अथवा मांग ड्राफ़्ट जारी किए जाएं.

उस/उन शेयरधारक/कों के संबंध में जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करना संभव न हो सेबी ने उनको जारी किए गए लाभांश वारंट लिखतों पर बैंक के ब्यौरे मुद्रित कराने की सलाह दी है. लेकिन उन शेयरधारकों के मामले में जिनके बैंक के ब्यौरे उपलब्ध न हों, कंपनी, इस तरह के भुगतान लिखतों पर निवेशकर्ताओं के पते अनिवार्य तौर पर मुद्रित करेगी.

मूर्त रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से हमारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.mrpl.co.in पर मेनू “Investors” और सब-मेनू “Shareholders” के अधीन ई-भुगतान अधिदेश फार्म सहित विभिन्न फ़ार्म उपलब्ध कराए हैं. शेयरधारक, अपेक्षित फ़ार्म डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए गए निर्देश के अनुसार भर कर उसे अनुलग्नकों के साथ आर एण्ड टी एजेंट के पास भेज सकते हैं. फ़ार्म, हमारे आर एण्ड टी एजेंटों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अपने बैंक के ब्यौरे अद्यतन बनाते समय सिर्फ़ अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागियों (DP) से संपर्क करें. यह भी सलाह दी जाती है कि ये, अपने संबंधित DP से 'Client Master Advice' की मांग करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके रेकॉर्ड में सही अद्यतन किया गया है. यह नोट किया जाए कि निक्षेपागारों द्वारा प्रदान किए गए बैंक के ब्यौरों का कंपनी, लाभांश का भुगतान करने के लिए ही इस्तेमाल करती है. इसलिए शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक है कि DP में बैंक के सही ब्यौरों को अद्यतन बनाया जाता है.

23. रिमोट ई-मतदान की संवीक्षा करने के लिए कंपनी ने श्री नरसिंह पै, साझेदार, मेसर्स पी एन पै एण्ड कं., पेशेवर कंपनी सचिव, मंगलूरु को संवीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है. रिमोट ई-मतदान के जरिए मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे, इसके आगे दी गई विस्तृत क्रियाविधियों पर गौर करें.

24. " रिमोट ई-मतदान " से संबंधित विस्तृत क्रियाविधि संलग्न की गई है जो इस नोटिस का ही एक भाग है.

25. महासभा में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, वही संयुक्त धारक, जिसका नाम क्रम में सब से पहले हो, महासभा में मतदान करने का हकदार होगा.

26. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत रखे गए निदेशकों और महत्वपूर्ण कर्मचारियों और उनके शेयरधारण का रजिस्टर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत ठेकों अथवा व्यवस्थाओं का रजिस्टर, जिसमें निदेशकों का हित हो, 32वीं वार्षिक महासभा में इलेक्ट्रॉनिक मोड में निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा और महासभा की अवधि के दौरान खुला रहेगा जिसे कोई भी सदस्य देख सकेगा.

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 का अनुसरण करते हुए सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (C&AG) द्वारा की जाती है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 का अनुसरण करते हुए उनका पारिश्रमिक, कंपनी द्वारा, वार्षिक महासभा में या इस तरह से तय करनी होगी जो कंपनी, वार्षिक महासभा में निर्धारित करे.

कंपनी के सदस्यों ने, 03/08/2018 को संपन्न 31वीं वार्षिक महासभा में निदेशक मंडल को, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने का प्राधिकार दिया. तदनुसार, निदेशक मंडल ने, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक, लागू सेवा कर, शिक्षा उपकर और वास्तविक यात्रा और फुटकर खर्च की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त ₹ 25,00,000/- (मात्र पच्चीस लाख रुपए) तय किया है. वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए C&AG से अब तक अनुमोदन नहीं मिला है. तदनुसार, सदस्य, बोर्ड को यह प्राधिकार दे सकते हैं कि वह, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों का ऐसा पारिश्रमिक निश्चित करे जो वह ठीक समझे.

28. ऊपर उल्लिखित MCA परिपत्र और SEBI परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ AGM की नोटिस, उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते, कंपनी/निक्षेपागारों के पास पंजीकृत हैं, सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भेजी जाएगी. सदस्यों द्वारा यह नोट किया जाए कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in, शेयर बाज़ार अर्थात् BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com पर और www.nseindia.com पर और NSDL के वेबसाइट htpps://www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी.

29. VC/OAVM के जरिए AGM में भाग लेने वाले सदस्यों को, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिनती में लिया जाएगा.

30. चूंकि AGM, VC/OAVM के जरिए होगी इसलिए इस नोटिस में, मार्ग मानचित्र संलग्न नहीं किया गया है.

VC/ OAVM के जरिए AGM भाग लेने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को NSDL ई-मतदान पद्धति के जरिए VC/OAVM के माध्यम से AGM में भाग लेने की सहूलियत दी जाएगी. सदस्य, इसके लिए अपने रीमोट ई-मतदान परिचय के सहारे shareholders/members login के तहत https://www.evoting.nsdl.com में पहुंच प्राप्त कर सकते हैं. VC/OAVM के लिए लिंक, shareholder/members login में उपलब्ध होगा जहां मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का EVSN:113374 प्रदर्शित होगा.

2. बेहतर अनुभव पाने के लिए सदस्यों को महासभा में लैपटॉप के जरिए भाग लेने की सलाह दी जाती है.

3. आगे, सदस्यों को कैमरा की अनुमति देनी होगी और इसलिए सलाह दी जाती है कि अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग जिससे कि कोई अड़चन न हो.

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल साधनों अथवा टैब्लेट से अथवा मोबाइल हॉट स्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के जरिए कनेक्ट होने वाले सहभागियों को, संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में खलल पड़ सकती है. इसलिए सिफ़ारिश की जाती है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रकार बाधा उत्पन्न होने से रोकने के लिए स्थिर Wi-Fi अथवा LAN कनेक्शन का उपयोग किया जाए.

5. महासभा के दौरान जो शेयरधारक, अपने विचार व्यक्त करना चाहें/सवाल करना चाहें वे, वक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं जिसके लिए उनको अपनी दरख्वास्त **महासभा से 5 दिन पहले** अर्थात्; 13/09/2020 तक या उससे पहले अपने नाम, डीमैट खाता/फ़ोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल संख्या के साथ investor@mrpl.co.in पर भेज सकते हैं. कंपनी द्वारा इसका मुनासिब जवाब दिया जाएगा.

6. महासभा के दौरान उन्हीं शेयरधारकों को अपने विचार व्यक्त करने/सवाल करने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया हो. कंपनी, AGM के लिए उपलब्ध समय के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अपना अधिकार आरक्षित रखती है.

7. अगर कोई सवाल हो तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध शेयरधारकों के मामले में अक्सर पूछे गए सवाल (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल रहित सं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अपनी दरख्वास्त (सुश्री सरिता मोटे को) भेज सकते हैं.

अन्य अनुदेश:

8. संवीक्षक, AGM में मतदान समाप्त होते ही सब से पहले AGM के दौरान डाले गए मतों की गिनती करेगा, तदनंतर रीमोट ई-मतदान के जरिए डाले गए मतों को अन्ब्लॉक करेगा और AGM समाप्त हुए कम से कम 48 घंटों के अंदर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, पक्ष में अथवा विरोध में डाले गए कुल मतों के बारे में संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट पेश करेगा जो उस पर अपने प्रति हस्ताक्षर करेंगे.

9. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम फ़ौरन, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in और NSDL के वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे. साथ ही साथ कंपनी, यह परिणाम, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हुए हों, अग्रेषित करेगी.

नोटिस का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) का अनुसरण करते हुए व्याख्यात्मक बयान

नीचे उल्लिखित व्याख्यात्मक बयान में, संलग्न की गई नोटिस में उल्लिखित विशिष्ट कारोबार के सिलसिले में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया गया है.

मद सं.5

श्री सुनील कुमार (DIN:08467559)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं. .C-31033/ 1/2016-CA/FTS:42979 दिनांक 17/10/2019 के जरिए सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 17/10/2019 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री सुनील कुमार (DIN:08467559) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली, कंपनी के निदेशक के रूप में, उन नियमों और शर्तों पर जो एमओपी एण्ड एनजी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है जो आवर्तन से सेवानिवृत्त होंगे."

निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त **" अनुबंध अ "** के रूप में दिया गया है जो इस नोटिस का एक भाग है. श्री सुनील कुमार, बोर्ड के निदेशकों में से किसी के रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

मद सं. 6

श्रीमती पोमिला जसपाल (DIN:08436633) को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा उनके पत्र सं. CA- 31013/5/2018-PNG (27963) दिनांक 14/10/2019 के जरिए निदेशक(वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 15/10/2019 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्रीमती पोमिला जसपाल (DIN:08436633) को कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली, कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में, उन नियमों और शर्तों पर जो एमओपी एण्ड एनजी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है.

अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त **" अनुबंध अ "** के रूप में दिया गया है जो इस नोटिस का एक भाग है. श्रीमती पोमिला जसपाल

बोर्ड के निदेशकों में से किसी की रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

मद सं.7

श्री संजय वर्मा (DIN:05155972)को, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार द्वारा, उनके पत्र सं. CA-31013/1/ 2019-PNG (30910) दिनांक 09/06/2020 के जरिए निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 09/06/2020 से निदेशक मंडल द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के अनुसार इस वार्षिक महासभा की तारीख तक पद संभालने के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और इनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत एक सदस्य से लिखित रूप में, श्री संजय वर्मा को, कंपनी के निदेशक पद के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में पेशकश करने का अपना इरादा स्पष्ट करते हुए एक नोटिस मिली, कंपनी के निदेशक (रिफ़ाइनरी) के रूप में, उन नियमों और शर्तों पर जो एमओपी एण्ड एनजी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं, नियुक्त किया जाए और एतद्वारा नियुक्त किया जाता है.

अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता का स्वरूप, कंपनी में शेयरधारण, अन्य निदेशक पद, समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता और अन्य विवरणों के साथ-साथ इनका संक्षिप्त सारवृत्त " **अनुबंध अ** " के रूप में दिया गया है जो इस नोटिस का एक भाग है. श्री संजय वर्मा, बोर्ड के निदेशकों में से किसी के रिश्तेदार नहीं हैं. इन्होंने इस कंपनी में कोई इक्विटी शेयर नहीं खरीदे हैं.

मद सं.8:

कंपनी अधिनियम, 2013 (the Act) की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (the Rules) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत संबंधी रेकॉर्डों की लेखा परीक्षा कराने के लिए लागत लेखा परीक्षक को नियुक्त करना पड़ेगा. लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर, बोर्ड ने, मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं, लागत लेखाकार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षा के संबंध में अगर कोई लागू कर हो तो उसके साथ ₹ 2,15,000/- के पारिश्रमिक और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ई-फ़ाइलिंग करने के प्रति ₹ 25,000/- + लागू कर के साथ लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया. ई-फ़ाइलिंग, यात्रा खर्च, लॉजिंग, बोर्डिंग और अन्य खर्च के लिए MCA को देय शुल्क, वास्तविक खर्च + लागू कर के साथ देना पड़ेगा. बोर्ड मेसर्स चंद्रा वाधवा एण्ड कं, लागत लेखा लेखाकार को विव 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में पुनर्नियुक्त किया जिनका पारिश्रमिक होगा ₹ 2,15,000/- + लागू कर तथा इनको लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट की ई-फ़ाइलिंग करने के प्रति ₹ 25,000/- + लागू कर दिया जाएगा. लेखा परीक्षा समिति की सिफ़ारिश के आधार पर ई-फ़ाइलिंग, यात्रा खर्च, लॉजिंग, बोर्डिंग और अन्य खर्च के लिए MCA को देय शुल्क, वास्तविक खर्च + लागू कर के साथ देना पड़ेगा.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के साथ पठित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक का शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन दिया जाएगा. तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करें.

किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

बोर्ड, सदस्यों के अनुसमर्थन के लिए संकल्पों की सिफ़ारिश करता है.

मद सं.9:

कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार, जब तक प्रतिभूतियों की प्रस्तावित पेशकश अथवा प्रतिभूतियों में अभिदान करने के आमंत्रण के लिए कंपनी के शेयरधारकों ने प्रत्येक पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में एक विशिष्ट संकल्प के जरिए इससे पहले अनुमोदन न दिया हो कंपनी, अपनी प्रतिभूतियों का निजी स्थानन नहीं कर सकेगी. लेकिन जमानत रहित अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCD)/ बांडों की पेशकश अथवा आमंत्रण के मामले में, वर्ष के दौरान इन डिबेंचरों/बांडों के मामले में तमाम पेशकश अथवा आमंत्रण के लिए कंपनी द्वारा वर्ष में एक बार एक विशिष्ट संकल्प पारित करना पर्याप्त होगा.

इन बातों के मद्दे नज़र, कंपनी के सदस्यों का इस आशय का अनुमोदन लिया जा रहा है कि वे निदेशक मंडल को यह प्राधिकार दें कि वह, विशिष्ट संकल्प पारित करने की तारीख से लेकर एक वर्ष पूरा होने तक अथवा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अगली वार्षिक महासभा की तारीख तक, जो भी पहले हो, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 (1) (ग) के तहत शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित ₹ 25,000 करोड़ की उच्चतम सीमा के अधीन ₹ 5,000 करोड़ तक जमानत रहित अपरिवर्तनीय डिबेंचरों (NCDs)/बांडों में अभिदान करने के प्रति पेशकश अथवा आमंत्रित करे." कंपनी के निदेशक मंडल ने प्रस्ताव पर विचार कर प्रस्तावित विशिष्ट संकल्प पारित करने की सिफ़ारिश की थी.

बहरहाल, किसी भी निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी और उनके रिश्तेदारों को, सिवाय कंपनी में उनके इक्विटी धारण की सीमा तक, या तो वित्तीय दृष्टि से या अन्यथा, इस संकल्प से न कोई सरोकार है न ही इसमें कोई दिलचस्पी है.

अनुबंध -' अ '

32वीं वार्षिक महासभा में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम	श्रीमती पोमिला जसपाल	श्री संजय वर्मा	श्री सुनील कुमार	श्री सुभाष कुमार	श्री विनोद शेणै
DIN	08436633	05155972	08467559	07905656	07632981
जन्म तिथि	11-01-1964	24-06-1964	16-08-1970	01-01-1962	09-09-1962
बोर्ड पर नियुक्ति तारीख रिश्ता	15-10-2019	09-06-2020	17-10-2019	15-05-2018	08-11-2016
अर्हता और विशेषज्ञता	• श्रीमती पोमिला जसपाल, एक लागत लेखाकार हैं जो ओएनजीसी समूह के तहत एक अनुसूची 'क' मिनीरत्न कंपनी, एमआरपीएल में, निदेशक (वित्त) के रूप में काम कर रही हैं जिनको प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह प्रचालन के प्रचालन एवं विनियामक ढ़ांचे, दोनों में तेल एवं गैस क्षेत्र में 35 वर्षों का अनुभव है. इनको OMPL और PMHBL के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया. • एमआरपीएल में कदम रखने के बाद इन्होंने बाजार एवं भारत बांड ETF से एमआरपीएल का '3,000 करोड़ का प्रथम NCD निर्गम कार्य संभाला और बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर धनराशि जुटाने में मदद की. इन्होंने '1,200 करोड़ के OMPL के CCD निर्गम पर भी निगरानी रखी. • इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को बेहद मान्यता मिली है जिसकी बदौलत ये सीधे अपने कार्य क्षेत्र में योगदान दे पाती हैं. ICMAI की अधि सदस्य हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ICMAI से स्वर्गीय श्रीमती धनपति गोयल स्वर्ण पदक हासिल किया है. इन्होंने MCM DAV कॉलेज, चंडीगढ़ से B. Com (हॉनर्स) और पंजाब विश्वविद्यालय से M. Com. डिग्री हासिल की. इन्होंने थोड़े समय तक डिग्री कॉलेज में अध्यापक की हैसियत से काम किया. • इन्होंने ओएनजीसी में 1985 में वित्त और लेखा अधिकारी के रूप में कदम रखा और कार्यपालक निदेशक - मुख्य कार्पोरेट वित्त के प्रतिष्ठित पद तक बढ़त हासिल की. इनको ओएनजीसी में इतने चोटी का पद हासिल करने वाली पहली महिला अधिकारी होने का गौरव प्राप्त है. ये, OPAL के बोर्ड पर भी रहीं. • अपनी प्रारंभिक अवधि के दौरान, ओएनजीसी अकादमी में 3 महीने का आरंभिक प्रशिक्षण होने के बाद इनको प्रधान कार्यालय, देहरादून में तैनात किया गया जहां इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य संभाले और बाद में	• श्री संजय वर्मा ने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से इंजीनियरिंग (मैकेनिकल) में स्नातक डिग्री हासिल की. • इनको पेट्रोलियम परिष्करण, पेट्रोकेमिकल्स और उर्वरक क्षेत्रों में 30 वर्षों का वैविध्यपूर्ण अनुभव है. इन्होंने एमआरपीएल, मंगलूरु में परियोजना, प्रचालन, उपयोगिताओं, सामग्री और एचएसई में विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में 25 वर्ष से अधिक काम किया है. • इन्होंने पिछले दो वर्षों से समूह महा प्रबंधक (प्रभारी रिफाइनरी) की भूमिका निभाई है. ये, मंगलूर STP Ltd. (MSTPL) के बोर्ड पर एमआरपीएल के नामिती हैं.	• IRAS (1995 बैच) • इस समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली में मई 2019 से संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं. • इन्होंने, IIT(ISM), धनबाद से प्रौद्योगिकी (पेट्रोलियम ऊर्जा) में स्नातक पदवी हासिल की है. • NIFM, फ़रीदाबाद से वित्तीय प्रबंधन • बीआई स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ओस्लो, नॉर्वे से व्यावसायिक प्रशासन में मास्टर पदवी हासिल की है. • ESCP-EAP, पेरिस, फ्रांस से कार्यपालक यूरोपियन एमबीए हासिल किया है. • **IIPA, नई दिल्ली से सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर डिप्लोमा और** बीजिंग जीयोटांग विश्वविद्यालय, बीजिंग, चीने से लॉजिस्टिक सिम्युलेशन एण्ड प्लानिंग. • संयुक्त सचिव (रिफ़ाइनरी) होने के नाते ये, रिफ़ाइनरी, ऑटो ईंधन नीति, पेट्रोकेमिकल्स, क्रूड तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात; जैव ईंधनों, नवीकरणीय ऊर्जा और संरक्षण, एकीकृत ऊर्जा नीति; जलवायु में परिवर्तन और राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा नीति से जुड़े मामलों की देखभाल कर रहे हैं.	• ये निदेशक (वित्त), ONGC हैं. • श्री कुमार ICMAI के अधि सदस्य हैं • ICSI के सह सदस्य हैं. • पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के पूर्व छात्र हैं जहां इन्होंने स्वर्ण पदक के साथ स्नातक पदवी और मास्टर डिग्री हासिल की. • निदेशक (वित्त) के रूप में कदम रखने से पहले इन्होंने कुछ समय के लिए पेट्रोनेट LNG लिमिटेड में काम किया जहां इन्होंने अगस्त 2017 में निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यग्रहण किया. • ये, व्यावसायिक विकास, वित्त और बजट के प्रमुख रहें और साथ ही अप्रैल 2010 से मार्च 2015 तक ओएनजीसी विदेश में ख़जाना आयोजना और संविभाग प्रबंधन समूह की बागडोर संभाली. • बाद में इन्होंने मानससरोवर एनर्जी कोलंबिया लिमिटेड में, जो ओएनजीसी विदेश और चीन के सिनोपैक का 50:50 संयुक्त उद्यम है, सितंबर 2006 से मार्च 2010 तक मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया.	• इन्होंने IIT मुंबई से रासायनिक इंजीनियरिंग में स्नातक पदवी हासिल की. • इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत एचपीसीएल के साथ की. • तीन दशक से अधिक अपने करियर के दौरान इन्होंने हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पद संभाले और इनको पेट्रोलियम उद्योग में व्यापक अनुभव है.

	JVOG, मुंबई में संयुक्त उद्यम समूह में यही सिलसिला जारी रखा. आगे चलकर इनको, हाइड्रोकार्बन महा निदेशालय (DGH) में उसके रचनात्मक वर्षों में प्रतिनियुक्त किया गया जहां इनको अपने कुशलताएं दिखाने का मौका मिला. इन्होंने उत्पादन साझा करने वाले ठेके (PSC) विकसित करने में मदद की जिसे कई पूर्व-NELP व NELP खंडों में एक आधार दस्तावेज के रूप में अपनाया गया. बाद में इनको MoP&NG के ठेका कक्षा में प्रतिनियुक्त किया गया जहां इन्होंने गैस कीमत निर्धारण के विभिन्न क्षेत्रों में, रंगराजन समिति, गैस उपयोग नीति, रॉयल्टी समिति, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में नीतियां बनाकर उनका सुचारु रूप से कार्यान्वयन करने और सरकार को मिलने वाले रॉयल्टी एवं पेट्रोलियम लाभ पर निगरानी रखने का काम संभाला. ● इनको, ओएनजीसी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, ओएनजीसी विदेश में काम करने, परियोजना वित्त के प्रभारी का काम संभालने, लगभग सभी समुद्रपारीय परियोजनाओं (अन्वेषण और विकास) का क्रियान्वयन करने का असीम अनुभव है और इन्होंने OVL का नये अधिग्रहण का कार्य और क्रियान्वयन निर्बाध रूप से करने में सक्रिय भूमिका निभाई. बाद में इन्होंने, असम असेट, ओएनजीसी के वित्त की बागडोर संभाली और यह चुनौतीपूर्ण कार्य 4 वर्ष तक संभाला. अपने बहुविध व्यक्तित्व की बदौलत ये उन सभी महिला अधिकारियों के लिए आशा की एक किरण है जो सपने बुनती हैं और यह सपने, महज कड़ी मेहनत से और केंद्रित दृष्टिकोण से साकार करना चाहती हैं.	● एमआरपीएल में कदम रखने से पहले इन्होंने प्रतिष्ठित संगठन जैसे इंडो गल्फ फ़र्टिलाइज़र्स, जगदीशपुर, यूपी और रिलाएंस इंडस्ट्रीस लि. (पेट्रोकेमिकल्स प्रभाग), हजीरा, गुजरात में काम किया था.	● MoP&NG में कदम रखने से पहले इन्होंने भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड में निदेशक वित्त व्यय सहित विभिन्न पदों पर और भारतीय रेलवे की लेखाकरण सुधार परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में काम किया. ●हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) के बोर्ड पर हैं.	● इन्होंने जुलाई 2016 में वापस ओएनजीसी में मुख्य वाणिज्यक और खजाने के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला जहां इन्होंने संगठन के बाकी मुद्दों का मूल्यांकन करने, उनको सुलझाने और उनको अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.	
अन्य सार्वजनिक कंपनियों में धारित निदेशक मद (विदेशी निजी और कंपनी अधिनियम की धारा 8 को छोड़कर)	1. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 2. पेट्रोनेट MHB लिमिटेड	1. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्विसेस लिमिटेड (SMAFSL) 2. ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 2. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड 2. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 3. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड 4. ओएनजीसी त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड 5. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड 6. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	1. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 2. HPCL- मित्तल एनर्जी लिमिटेड 3. प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड 4. मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 5. HPCL राजस्थान रिफ़ाइनरी लिमिटेड 6.HPCL बायो फ्यूएल्स लिमिटेड
समितियों के अध्यक्ष/सदस्य	1 ONGC मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ● सदस्य - लेखा परीक्षा समिति	कुछ नहीं	कुछ नहीं	1. आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड ● सदस्य - हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति	कुछ नहीं

				2. ओएनजीसी पेट्रो एडिशन्स लिमिटेड ●सदस्य- लेखा परीक्षा समिति 3.ONGC त्रिपुरा कंपनी लिमिटेड ● सदस्य- लेखा परीक्षा समिति 4. मंगलूर एस्सईज़ड् लिमिटेड ●सदस्य- लेखा परीक्षा समिति	
निदेशकों का शेयरधारण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**
निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	**कुछ नहीं**

नोट : लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हिस्सेदारों की रिश्तेदारी संबंधी समिति के संबंध में ही सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया जाता है.

रीमोट ई-मतदान के लिए शेयरधारकों को अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सर्वव्यापी महामारी COVID-19 के प्रकोप के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और कंपनी कार्य मंत्रालय ("MCA") के दिनांक 5 मई, 2020 के बाद जारी किए गए परिपत्र सं. 14/2020, दिनांक 8 अप्रैल, परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 का अनुसरण करते हुए के AGM में सदस्यों की प्रत्यक्ष मौजूदगी आवश्यक नहीं है और वार्षिक महासभा ("AGM"), वीडियो कान्फरेंसिंग (VC) अथवा अन्य श्रवण दृश्य माध्यमों(OAVM) के जरिए आयोजित की जाए. इसलिए सदस्य, आगामी AGM में VC/OAVM के जरिए भाग ले सकते हैं.

2. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020 का अनुसरण करते हुए सदस्यों के लिए AGM में भाग लेकर मतदान करने की सुविधा, इस AGM के लिए उपलब्ध नहीं है. लेकिन कंपनी निकाय को, VC/OAVM के जरिए AGM में भाग लेकर ई-मतदान के जरिए मतदान करने लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का हक है.

3. सदस्य, नोटिस में दी गई क्रियाविधि का पालन करते हुए महासभा की शुरुआत के अनुसूचित समय से 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद AGM में, VC/OAVM मोड में भाग ले सकते हैं. VC/OAVM के जरिए AGM में भाग लेने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आए पहले पाएं आधार पर उपलब्ध होगी. यह नियम उन बड़े शेयरधारकों को लागू नहीं होगी (ऐसे शेयरधारक जिनका शेयरधारण 2% अथवा उससे अधिक हो) जैसे प्रवर्तकों, संस्थागत निवेशकर्ता, निदेशक, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कर्मचारी, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति तथा हिस्सेदारों के साथ रेशेदार संबंधी समिति, लेखा परीक्षक आदि, जिनको पहले आए पहले पाएं जैसे प्रतिबंधों के बगैर AGM में भाग लेने दिया जाता है.

4. VC/OAVM के जरिए AGM में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति को, अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिनती में लिया जाएगा.

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और सेबी (लिस्टिंग संबंधी दायित्व और प्रकटन संबंधी अपेक्षाएं) विनियम 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के परिपत्रों का अनुसरण करते हुए कंपनी, AGM में किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रीमोट ई-मतदान करने की सुविधा प्रदान कर रही है. इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करना सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकृत एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (NSDL) के साथ करारनामे पर हस्ताक्षर किए. रीमोट ई-मतदान पद्धति के सहारे सदस्य द्वारा मतदान करने की सुविधा और AGM के दिन मतदान करने के स्थान के बारे में जानकारी NSDL द्वारा प्रदान की जाएगी.

6. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) के परिपत्र सं. 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020 के अनुरूप AGM से संबंधित नोटिस, कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in. पर अपलोड की गई है. नोटिस, शेयर बाजारों के वेबसाइटों अर्थात्; BSE लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर देखी जा सकती है और AGM नोटिस, NSDL (रीमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) के वेबसाइट www.evoting.nsdl.com. पर भी उपलब्ध है.

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कार्पोरेट सदस्यों को महासभा में उनकी तरफ से भाग - लेकर मतदान करने का प्राधिकार देते हुए पारित बोर्ड के संबंधित संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी होगी.

रीमोट ई-मतदान के लिए शेयरधारकों को अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रीमोट मतदान की अवधि 15/09/2020 को प्रात: 09:00 शुरु होकर 17/09/2020 को अपराह्न 5:00 बजे ख़त्म होगी. उसके बाद मतदान के लिए ई-मतदान मॉड्यूल, NSDL द्वारा अक्षम किया जाएगा.

मैं NSDL ई-मतदान पद्धति के सहारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान कैसे कर सकता हूँ?

NSDL ई-मतदान पद्धति के सहारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मतदान " दो कदमों " में नीचे बताए गए तरीके से किया जा सकता है:

कदम 1: NSDL ई-मतदान पद्धति के लिए Https://www.evoting.nsdl.com/ पर **Log-in** करें

कदम 2: NSDL ई-मतदान पद्धति के सहारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान करें.

कदम 1 के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

NSDL ई-मतदान वेबसाइट पर Log-in कैसे करें?

1. NSDL का ई-मतदान वेबसाइट खोलें. वेब ब्राउज़र में नीचे उल्लिखित URL टाइप करें: या तो वैयक्तिक कंप्यूटर या मोबाइल पर https://www.evoting.nsdl.com/ .
2. ई-मतदान पद्धति का होम पेज खुलते ही 'Shareholders' खंड के अधीन उपलब्ध "Login" आइकॉन पर क्लिक् करें.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. स्क्रीन पर बताए गए तरीके से आपको अपना User ID, पासवर्ड और सत्यापन कूट संख्या दर्ज करनी होगी.
   वैकल्पिक रूप से अगर आपने NSDL ई-सेवाओं अर्थात्; IDEAS के लिए रजिस्टर किया हो तो अपने मौजूदा IDEAS login के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर log-in करें. अपने log-in क्रेडेंशियल्स के सहारे NSDL ई-सेवाओं में log-in करने के बाद e-Voting पर क्लिक् करें और बाद में आप कदम 2 अर्थात्; इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान करने की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं.
4. आपके User ID के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

शेयर किस रूप में रखे गए हैं अर्थात्; डीमैट (NSDL अथवा CDSL) अथवा मूर्त रूप में	**आपका User ID है:|**
क) NSDL के पास डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	8 अक्षर वाला DP ID तदनंतर 8 अंकों वाला ग्राहक ID उदाहरण के लिए अगर DP ID, IN300*** और ग्राहक ID 12****** हो तो आपका user ID है IN300***12******.
क) CDSL के पास डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	16 अंकों वाला हिताधिकारी ID उदाहरण के लिए अगर आपका हिताधिकारी ID 12************** हो तो आपका user ID होगा 12**************
ग) मूल रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए.	सम संख्या के बाद कंपनी के पास पंजीकृत फ़ोलियों संख्या उदाहरण के लिए अगर फ़ोलियो संख्या 001*** और सम संख्या 101456 हो तो user ID होगा 101456001***

5. आपके User ID के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

क) अगर आपने ई-मतदान के लिए पंजीकरण कराया हो तो login कर मतदान करने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करें.

ख) अगर आप NSDL ई-मतदान पद्धति का पहली बार इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको सूचित किया गया 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त करना होगा. आपको अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त होते ही आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा जिसके बाद सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा.

ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे पुन: प्राप्त करें?

(i) अगर आपके ई-मेल ID का, अपने डीमैट खाते में अथवा कंपनी के पास पंजीकरण कराया गया हो तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ई-मेल ID पर सूचित किया जाएगा. NSDL द्वारा आपको भेजे गए ई-मेल को अपने मेल बॉक्स में ढूँढ निकालें. तदनंतर ई-मेल खोलें और अटैचमेंट खोलें अर्थात्; .pdf फ़ाइल खोलें. .pdf फ़ाइल खोलने के लिए पासवर्ड होगा, NSDL के मामले में आपका 8 अंकों वाला ग्राहक ID, CDSL खाते के मामले में अंतिम 8 अंकों वाला ग्राहक ID अथवा मूल रूप में रखे गए शेयरों के मामले में फ़ोलियो संख्या. .pdf फ़ाइल में आपका 'User ID' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' होगा.

(ii) अगर आपने अपने ई-मेल ID का पंजीकरण न कराया हो तो कृपया यहां नीचे **'उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ई-मेल आइडी का पंजीकरण न कराया गया हो'** में उल्लिखित कदमों का पालन करें.

6. अगर आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुन: प्राप्त न कर पाए हों अथवा न मिला हो अथवा अपना पासवर्ड भूल गए हों तो:

क) "Www.evoting.nsdl.com.www.evoting.nsdl.com. पर उपलब्ध विकल्प Forgot User Details/Password?" पर क्लिक् करें (अगर आपके शेयर, NSDL अथवा CDSL के पास डीमैट खाते में हों)

ख) Physical User Reset Password?" (अगर आपके शेयर मूर्त रूप में हों तो) www.evoting.nsdl.com. पर विकल्प उपलब्ध है.

ग) अगर आप ऊपर उल्लिखित दोनों विकल्पों के सहारे अपना पासवर्ड पाने में असमर्थ हों तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपनी दरख्वास्त इन विवरणों के साथ भेज सकते हैं जैसे अपनी डीमैट खाता संख्या/फ़ोलियो संख्या, अपना PAN, अपना नाम और पंजीकृत पता.

घ) सदस्य, NSDL की ई-मतदान पद्धति में लॉग इन्न करने के लिए लॉग इन्न () आधारित OTP (एक बारगी पासवर्ड) का भी उपयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद चेक बॉक्स पर "Terms and Conditions" पर Agree पर टिक्क करें.

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक् करना होगा.

9. "Login" बटन पर क्लिक् करने के बाद ई-मतदान का होम पेज खुलेगा.

कदम 2 के ब्यौरे यहां नीचे दिए गए हैं:

NSDL ई-मतदान पद्धति के सहारे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना मतदान कैसे करें?

1. कदम 1 में सफलता से login करने क बाद आप ई-मतदान का होम पेज देख सकेंगे. e-Voting पर क्लिक् करें. तदनंतर Active Voting Cycles पर क्लिक् करें.
2. Active Voting Cycles पर क्लिक् करने के बाद, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की EVEN संख्या 113374 देख सकेंगे जिसमें आपके शेयर हों और जिसका मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में हो.
3. अपना मतदान करने के लिए मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की "EVEN" संख्या चुनें.
4. जैसे ही मतदान का पेज खुले अब आप e-Voting के लिए तैयार हैं.
5. उचित विकल्पों अर्थात्; सम्मति अथवा असम्मति का चयन करते हुए अपना मतदान करें, उन शेयरों की संख्या का सत्यापन/आशोधन करें जिसके लिए आप अपना मतदान करना चाहें और संकेत मिलने पर "Submit" और साथ ही "Confirm" पर क्लिक् करें.
6. पुष्टीकरण के बाद, संदेश "Vote cast successfully" प्रदर्शित होगा.
7. किए गए मतदान की मुद्रित प्रति पाने के लिए आप, पुष्टीकरण पृष्ठ पर print विकल्प पर क्लिक् कर सकते हैं.
8. संकल्प पर एक बार CONFIRM" चुनने के बाद आपको अपना मतदान बदलने का मौका नहीं मिलेगा.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात्; व्यक्तियों से भिन्न, HUF, NRI आदि) को, मतदान करने के लिए विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के अनुप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (PDF/JPG प्रारूप), संवीक्षक को ई-मेल narasimhapaip@gmail.com पर और उसकी एक प्रतिलिपि evoting@nsdl.co.in. को भेजनी होगी.

2. पुरजोर अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेर न करें और अपना पासवर्ड गुप्त रखने के लिए अति सावधानी बरतें. सही पासवर्ड दर्ज करने के पांच असफल कोशिशों के बाद e-voting वेबसाइट में Login अक्षम किया जाएगा. ऐसी सूरत में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password" अथवा "Physical User Reset Password" का अध्ययन करना होगा.

3. अगर कोई सवाल हो तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड पर उपलब्ध शेयरधारकों के मामले में अक्सर पूछे गए सवाल (FAQs) और शेयरधारकों के लिए ई-मतदान उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं अथवा टोल रहित सं. 1800-222-990 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर अपनी दरख्वास्त (सुश्री सरिता मोटे को) भेज सकते हैं.

उन शेयरधारकों के मामले में, जिनके ई-मेल आइडी का, user id और पासवर्ड पाने खातिर निक्षेपागारों के पास पंजीकरण न कराया गया हो इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्प को लेकर ई-मतदान करने के लिए ई-मेल आइडी के पंजीकरण के बारे में प्रक्रिया:

1. अगर शेयर मूर्त रूप में रखे गए हों तो कृपया ई-मेल से mrplirc@linkintime.co.in. को ऐसी जानकारी दें जैसे फ़ोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रतिलिपि (सामने का और पिछला हिस्सा), PAN (PAN कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि), AADHAR (आधार कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि)

   अगर शेयर अमूर्त रूप में हो तो mrplirc@linkintime.co.in. को कृपया ऐसी जानकारी दें जैसे DPID-CLID (16 अंकों वाला DPID + CLID अथवा 16 अंकों वाला हिताधिकारी ID), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, (PAN कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि), AADHAR (आधार कार्ड की स्वयं अनुप्रमाणित स्कैन की गई प्रतिलिपि)

2. वैकल्पिक रूप से आप User ID और पासवर्ड पाने के लिए क्रम सं. 1 में उल्लिखित ब्यौरे प्रदान करते हुए evoting@nsdl.co.in को ई-मेल से अपनी दरख्वास्त भेज सकते हैं.

AGM के दिन ई-मतदान करने के लिए सदस्यों को अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. AGM के दिन ई-मतदान करने की क्रियाविधि वही है जिसके बारे में अनुदेश, रीमोट ई-मतदान के बारे में ऊपर उल्लेख किया गया है.
2. AGM में ई-मतदान पद्धति से मतदान करने के लिए वही सदस्य/शेयरधारक पात्र होंगे जो VC/OAVM के जरिए AGM में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रीमोट ई-मतदान के जरिए संकल्प पर अपना मतदान न किया हो और जिन पर ऐसा करने से रोक न लगा दी गई हो.
3. रीमोट ई-मतदान के जरिए मतदान कर चुके सदस्य, AGM में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. लेकिन वे, AGM में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4. AGM के दिन ई-मतदान करने के लिए प्रदान की गई सुविधा से संबंधित शिकायतों को लेकर संपर्क करने लायक व्यक्ति वही होगा जिसका उल्लेख रीमोट ई-मतदान के मामले में किया गया है.

VC/ OAVM के जरिए AGM भाग लेने वाले सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को NSDL ई-मतदान पद्धति के जरिए VC/OAVM के माध्यम से AGM में भाग लेने की सहूलियत दी जाएगी. इसे पाने के लिए सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर shareholders/members login

के अधीन रीमोट ई-मतदान संबंधी क्रेडेंशियल्स के सहारे login कर सकते हैं. VC/OAVM के लिए लिंक, shareholder/members login में उपलब्ध होगा जहां मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का EVEN :113374 प्रदर्शित होगा. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास, ई-मतदान करने के लिए User ID और पासवर्ड नहीं है अथवा जो अपना User ID और पासवर्ड भूल चुके हो वे, अंतिम घडी में भीड़-भाड़ से बचने के लिए रीमोट ई-मतदान के बारे में नोटिस में दिए गए अनुदेशों का पालन करते हुए User ID और पासवर्ड पुन: प्राप्त कर सकते हैं. आगे, सदस्य, NSDL की ई-मतदान पद्धति में लॉग इन्न करने के लिए लॉग इन्न आधारित OTP का भी उपयोग कर सकते हैं.

2. बेहतर अनुभव पाने के लिए सदस्यों को महासभा में लैपटॉप के जरिए भाग लेने की सलाह दी जाती है.

3. आगे, सदस्यों को कैमरा की अनुमति देनी होगी और इसलिए सलाह दी जाती है कि अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करें जिससे कि कोई अड़चन न हो.

4. कृपया नोट करें कि मोबाइल साधनों अथवा टैब्लेट से अथवा मोबाइल हॉट स्पॉट के माध्यम से लैपटॉप के जरिए कनेक्ट होने वाले सहभागियों को, संबंधित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में खलल पड़ सकती है. इसलिए सिफ़ारिश की जाती है कि ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रकार बाधा उत्पन्न होने से रोकने के लिए स्थिर Wi-Fi अथवा LAN कनेक्शन का उपयोग किया जाए.

5. महासभा के दौरान जो शेयरधारक, अपने विचार व्यक्त करना चाहें/सवाल करना चाहें वे, वक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं जिसके लिए उनको अपनी दरख्वास्त अपने नाम, डीमैट खाता/फ़ोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल संख्या के साथ (investor@mrpl.co.in) पर भेजनी होगी.

6. जो शेयरधारक, अपने विचार व्यक्त करना चाहें/सवाल करना चाहें वे, पहले से ही अपने सवाल, अपने नाम, डीमैट खाता/फ़ोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल संख्या के साथ (कंपनी के ई-मेल आईडी) पर भेज सकते हैं). कंपनी द्वारा इसका मुनासिब तरीके से जवाब दिया जाएगा.

7. महासभा के दौरान उन्हीं शेयरधारकों को अपने विचार व्यक्त करने/सवाल करने का मौका दिया जाएगा जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया हो.